



# राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल

## 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर

फोन नं.: 5101871, 5101872, ईपीवीएक्स: 5159600, 5159699 फैक्स: 5159694-97

### परिपत्र

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल एक वैधानिक संस्था है। इसका गठन जल (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 (अधिनियम संख्याक 6) के अन्तर्गत जल प्रदूषण को रोकने, नियन्त्रित करने व कम करने हेतु तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 (अधिनियम संख्याक 14) के अन्तर्गत वायु प्रदूषण को रोकने, नियन्त्रित करने व कम करने हेतु किया गया है।

जल (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 के प्रावधान 25/26 के अन्तर्गत नदियों, कुओं और नालों या भूमि पर राज्य मण्डल द्वारा निर्धारित मानकों से अधिक प्रदूषित पदार्थों के उत्सर्जन पर प्रतिवंध है। इसके अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति द्वारा उधोग स्थापित करने, उसको चलाने या इस प्रकार की किसी भी कार्यवाही एवं अपशिष्ट पदार्थों का निपटान करने के लिये एवं जल शोधन रांगंत्र लगाने से पूर्व राज्य मण्डल से सहमति प्राप्त करना आवश्यक है।

राज्य मण्डल द्वारा सम्मति जारी करने की दृष्टि से भवन निर्माण प्रोजेक्ट, टाउनशीप एवं एरिया डब्ल्यूपमेंट प्रोजेक्ट को वर्तमान में नारंगी श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

इन भवन निर्माण/ग्रुप हाउसिंग और टाउनशीप प्रोजेक्ट में साधारण जीविका जैसे नहाने से, शौचालय से, कपड़ों धोने इत्यादि से घरेलू अपशिष्ट जल निकलता है। इस घरेलू अपशिष्ट जल को वैज्ञानिक तरीके से उपचारित किया जाना चाहिए एवं इसका निपटान उपयुक्त क्षमता का रीयेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर वैज्ञानिक तरीके से किया जाना आवश्यक है। घरेलू अपशिष्ट जल के उचित निपटान की व्यवस्था एवं लागू करने का दायित्व अभिभोगियों/सोसाइटी पर होता है। अभिभोगी/सोसाइटी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि कोई भी अनुपचारित अपशिष्ट का उत्सर्जन प्रोजेक्ट के परिसर के बाहर ना हो। सभी भवन निर्माण/ग्रुप हाउसिंग और टाउनशीप प्रोजेक्ट को राज्य मण्डल से जल अधिनियम, 1974 एवं वायु अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत निर्माण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व रथापना सम्मति एवं संचालन करने से पूर्व संचालन सम्मति लेना आवश्यक है।

प्रायः ऐसा पाया गया है कुछ भवन निर्माण/ग्रुप हाउसिंग और टाउनशीप प्रोजेक्ट, राज्य मण्डल से रथापना सम्मति तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन संचालन के लिए राज्य मण्डल में आवेदन नहीं करते हैं एवं विना संचालन सम्मति एवं पर्याप्त प्रदूषण नियन्त्रण उपायों के रथापित किये विना ही संचालन प्रारंभ कर देते हैं। कई प्रकरणों में तो प्रोजेक्ट संचालन सम्मति प्राप्त किये विना, संचालित कर लिया जाता है या अभिभोगियों को सौप दिया जाता है। विना संचालन सम्मति के प्रोजेक्ट का उपभोग करना/संचालन करना, जल अधिनियम/वायु अधिनियम का उल्लंघन है।

उपरोक्त तथ्यों के मदेनजर, समस्त राक्षम रवीकृति प्राधिकारी यथा आयुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण, अजमेर विकास प्राधिकरण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, एवं नगर विकास न्यास को निर्देशित



**राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल**  
**4, संरक्षणिक क्षेत्र, झालाना चूंगरी, जयपुर**  
फोन नं.: 5101871, 5101872, ईपीबीएक्स: 5159600, 5159699 फैक्स: 5159694-97

निया जाता है कि भवन निर्माण/मूप हाउसिंग और टाउनशीप प्रोजेक्ट को राज्य मण्डल की वैध सचालन रायकृती सौना सुनिश्चित करने के बाद ही अधिवासा प्रणाली पत्र जारी करें। रामी रांवितों से आयह है कि कृपया संलग्न पपत्र में रूचना विनांक 31.1.2020 तक मण्डल को गिजवाना सुनिश्चित करें।

परिपत्र संक्षम प्राधिकारी के अनुग्रहन से जारी किया गया है।

—२४—  
(डॉ. विजय कुगार रिघल )  
मुख्य पर्यावरण अभियन्ता

क्रमांक F.I4(5-ADM)/RPCB/PLG/ २७५८-२८०७

दिनांक: ३१/१२/२०१९

निम्नांकित को प्रतिलिपि संलग्न प्रपत्र में शूचना विनांक 31.1.2020 तक मण्डल को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित है:-

- १ आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
- २ आयुक्त, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
- ३ आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
- ४ आयुक्त, राजस्थान आवारान मण्डल, जयपुर।
- ५ आयुक्त, नगर विकास न्यासा, आवृ/अलवर/वाडमेर/भरतपुर/भीलवाड़ा/बीकानेर/चित्तौड़गढ़/जैसलमेर/कोटा/पाली/रीकर/श्री गंगानगर/सावाई माधोपुर/उदयपुर।

निम्नांकित को प्रतिलिपि शूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- १ निजी सचिव, अध्यक्ष, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर।
- २ निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- ३ निजी सचिव, रादरय सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर।
- ४ मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर।
- ५ मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी, कैन्टीय प्रयोगशाला, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर।
- ६ शाखा प्रमाणी एलानिंग/वी.एम.डब्ल्यू./हजारडला पेरट/टैक्साटाइल/री.पी.एम./एम.यू.आई.डी./एच.ओ.पी./ई-पेरट/डी.एफ./आई.टी./री.डी./एडिग्न/गाइन्स/लीगल/एस.पी.आई.ओ./लिपिचड पेरट, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर।
- ७ श्रीमीय अधिकारी, श्रीमीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल शल्वर/भिवाडी/बालोतरा/भीलवाड़ा/भरतपुर/बीकानेर/चित्तौड़गढ़/जयपुर(उत्तर)/जोधपुर/किशनगढ़/कोटा/पाली/रीकर/उदयपुर।

शाखा प्रमाणी(आई.टी.), मुख्यालय, जयपुर पैकराइट पर प्रदर्शित करने हेतु।

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता

विभाग / स्थानीय निकाय का नाम-

क्रम संख्या	भवन निर्माण / ग्रुप हाउसिंग / टाउनशीप प्रोजेक्ट का नाम	पता	बिल्ड अप एरिया / Development Project का कुल एरिया	प्रोजेक्ट पूर्ण होने के पश्चात संचालन की तिथि	अधिवास प्रमाण पत्र की स्थिति